**संख्या-346/2017/1997/22-2-2016-17(92)/2005**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38320/घर-2/(एम0-13.10.2016) दिनांक 26.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हबीब पुत्र श्री शरीफ, ग्राम-दौलतपुर, थाना-फतेहपुर-चौरासी, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व से चले आ रहे विवाद एवं दोनों पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29/30.09.1976 की मध्यरात्रि में लाठी, बांका, बन्दूक एवं पिस्तौल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-294/1978 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 323, 302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 20.11.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 06.08.1995 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2016 तक 20 वर्ष 11 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी, कोर्ट सं0-3, उन्नाव से प्राप्त अभिमत दिनांक 01.09.2016 में अवगत कराया है कि बन्दी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। आजीवन कारावास का अर्थ सम्पूर्ण जीवन के कारावास से होता है अर्थात दोषसिद्ध अभियुक्त मृत्यु तक कारावास में रहेगा। दोषसिद्ध का समय से पूर्व रिहा करने का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि पूर्व से चले आ रहे विवाद एवं दोनों पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29/30.09.1976 की मध्यरात्रि में लाठी, बांका, बन्दूक एवं पिस्तौल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी की आयु 55 वर्ष है

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 न्यायालय/पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री शरीफ को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हबीब (बन्दी संख्या-9027) पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-346/2017/1997/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।